विशेष विवाह अधिनियम

प्रस्तावना

आर्थिक या अन्य अयोग्यताओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय प्राप्त करने से वंचित नहीं किया जा सकता। समाज के प्रत्येक कमजोर वर्ग को मुफ्त एवं उचित कानूनी सेवाऐं प्रदान करने के लिए विधिक सेवाऐं प्राधिकरण अधिनियम, 1987 बनाया गया है, जिसके अन्तर्गत राज्य विधिक सेवाऐं प्राधिकरण का गठन किया गया है। न्याय केवल न्यायालयों में लंबित वादों तक सीमित नहीं है। कानूनी जागरूकता व साक्षरता, विधिक सहायता के स्तम्भ है। हरियाणा राज्य विधिक सेवाऐं प्राधिकरण (हालसा) कानूनी जागरूकरता व साक्षरता के लिए प्रयासरत है। हालसा द्वारा राज्य के विभिन्न गांवों में विधिक सहायता क्लीनिक स्थापित किये गये हैं, जिनमें पराविधिक स्वयं सेवक व पैनल के वकील विधिक सहायता प्रदान करते हैं। इसके ईलावा हालसा द्वारा कानूनी जागरूकता व साक्षरता अभियान चलाया हुआ है। आम लोगों तक कानूनी ज्ञान पहुंचाने के लिए हालसा द्वारा सरल भाषा में विभिन्न विषयों पर पुस्तिकाऐं छपवाई गई हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति कानूनी ज्ञान से वंचित न रह सके व अपने कानूनी अधिकारों का प्रयोग कर सके। यह पुस्तिका उन्ही मे से एक है। अब तक हालसा 1,35,000 कानूनी ज्ञान की पुस्तिकाऐं आम लोगों में बंटवा चुका है। इसी अभियान को आगे बढाते हुये अब हालसा 27,00,000 सरल भाषा में कानूनी ज्ञान की पुस्तिकायें छपवा कर ग्रामीण व मलिन बस्तियों के लोगों को कानूनी अधिकारों बारे जागरूक करने जा रहा है। आशा है कि यह पुस्तिका आप सब के लिए उपयोगी होगी व आपके कानूनी ज्ञान के लिए मार्गदर्शिका बनेगी।

दिनांकः1.1.2012

(दीपक गुप्ता)
सदस्य सचिव

परिचय

विशेष विवाह अधिनियम शादी का एक विशेष रूप प्रदान करता है जिसका भारत में सभी फायदा उठा सकते हैं और सभी भारतीय नागरिक, जो विदेश में रहते हैं, वो भी इसका फायदा उठा सकते हैं। इस अधिनियम के तहत किसी भी धर्म को मानने वाले पुरूष और महिला, बिना धर्म बदले विवाह कर सकते हैं। वो अपने विवाह के लिए कोई भी रस्मों–रिवाज अपना सकते हैं लेकिन शादी से पहले कुछ औपचारिकताएं जरूरी हैं। जो व्यक्ति पहले से ही किसी अन्य रूप से शादी करा चुके हैं, वह भी इस अधिनियम का लाभ उठाकर शादी पंजीकृत करा सकते हैं।

इस अधिनियम के तहत वैवाहिक अधिकारी के समक्ष किस तरह से विवाह किया जा सकता है–

क) कोई धार्मिक रस्म जरूरी नहीं हैं।

ख) सरकार द्वारा नियुक्त वैवाहिक अधिकारी द्वारा शादी सम्पन्न करवाई जाती है।

ग) विवाह करने के लिए दोनों पक्षों द्वारा वैवाहिक अधिकारी को एक निर्धारित फार्म में सूचना देनी होती है।

घ) वैवाहिक अधिकारी इस सूचना को एक रजिस्टर में दर्ज करता है। इस जानकारी की सार्वजनिक सूचना दी जाती है।

ङ) इस सार्वजनिक सूचना के जारी होने के तीस दिन बाद और दो मास खत्म होने से पहले शादी होनी चाहिए।

च) शादी से पहले दोनों आवेदकों और तीन गवाहों द्वारा साफ तौर पर बनाये गये ब्यान पर हस्ताक्षर किये जाते हैं।

छ) विवाह को तब तक सम्पन्न नहीं माना जाता है जब तक कि दोनों पक्ष विवाह अधिकारी और तीन गवाहों की उपस्थिति में एक दूसरे से निम्नलिखित नहीं कहते –

> ''मैं तुम्हें अपना/अपनी वैध पति/पत्नी मानता/मानती हूँ।''
>
> *(ऐसा किसी भी भाषा में कहा जा सकता है जिसे दोनों पक्ष समझते हों।)*

झ) इस तरह से विवाह सम्पन्न हो जाता है जिसे रिकॉर्ड रजिस्टर में दर्ज किया जाता है। इस रिकॉर्ड पर आवेदकों और गवाहों के हस्ताक्षर होते हैं –

इस अधिनियम के तहत विवाह करने के लिए शर्तें –

क) इस अधिनियम के तहत किसी भी धर्म को मानने वाले कोई भी दो व्यक्ति बिना अपना धर्म बदले विवाह कर सकते हैं।

ख) विवाह के समय कोई भी पक्ष विवाहित नहीं होना चाहिए। विधवा, विदुर और तलाकशुदा भी इस अधिनियम के तहत शादी कर सकता/सकती है।

ग) कोई भी पक्ष विवाह के लिए अयोग्य और सहमति देने में असमर्थ नहीं होना चाहिए।

घ) कोई भी पक्ष किसी ऐसे मनोविकार से पीड़ित नहीं हो कि विवाह करने व बच्चे पैदा करने के लिए अयोग्य हो।

ङ) कोई भी पक्ष को पागलपन के दौरे न पड़ते हों।

च) दोनों पक्ष आपस में किसी निषिद्ध रिश्ते में नहीं होने चाहिए।

छ) लड़के की उम्र 21 वर्ष और लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।

तलाक कैसे हो सकता है –

इस अधिनियम के तहत दोनों पक्ष किसी भी धर्म के हो सकते हैं। उनके तलाक लेने के लिए एक जैसे अधिकार हैं जैसे –

क) यदि प्रतिवादी के विवाह के बाद अपने पति/पत्नी के अलावा किसी और के साथ शारीरिक सम्बन्ध हों।

ख) यदि प्रतिवादी ने वादी का परित्याग पिछले दो साल से लगातार कर रखा हो।

ग) यदि प्रतिवादी को किसी भी अपराध के लिए सात साल या उससे अधिक की सजा सुनाई गई हो।

घ) यदि प्रतिवादी ने शादी होने के बाद से वादी के साथ क्रूरता का व्यवहार किया हो।

ङ) यदि प्रतिवादी अरोग्य पागलपन से पीड़ित हो।

च) यदि प्रतिवादी (पति/पत्नी) संक्रामक यौन रोग से पीड़ित हो।

छ) यदि प्रतिवादी (पति/पत्नी) कुष्ठ रोग से पीड़ित हो जो रोग वादी के सम्पर्क से प्राप्त न हुआ हो।

ज) यदि प्रतिवादी (पति/पत्नी) के जिन्दा होने की खबर सात साल से अधिक तक ना सुनी हो।

पत्नी भी निम्नलिखित के आधार तलाक के लिए याचिका दायर कर सकती है –

झ) यदि विवाह के बाद पति बलात्कार, गुदा मैथुन या पाश्विकता का अपराधी हो।

ञ) यदि पति बलात्कार का दोषी या किसी स्त्री पर अत्याचार करने वाला हो।

ट) यदि भरण-पोषण के आदेश के बाद एक साल या उससे अधिक तक सहवास ना हुआ हो तो पत्नी इस आधार पर भी तलाक प्राप्त कर सकती है।

आपसी सहमति से तलाक लिया जा सकता है –

दोनों पक्ष आपसी सहमति से इक्ट्ठे तलाक के लिए याचिका दायर कर सकते हैं यदि वे एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि तक अलग रह रहे हों और साथ रहने के इच्छुक न हों और वे दोनों सहमत हों कि विवाह को भंग किया जाना चाहिए, इस विषय में पूछताछ करने व दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात्, दोनों पक्षों द्वारा याचिका की प्रस्तुति के 6 माह उपरान्त और 18 माह से पहले, न्यायालय द्वारा तलाक का आदेश जारी किया जा सकता है।

कौन सी अदालत में तलाक व अन्य याचिकाएँ दायर की जा सकती है –

उस सत्र मण्डल के जिला न्यायधीश की अदालत में –

क) जहाँ विवाह हुआ था।

ख) जहाँ प्रतिवादी रहता है।

ग) जहाँ पति और पत्नी दोनों विवाह के समय साथ रहते थे।

घ) यदि पत्नी याचिकाकर्ता है तो जहाँ वह याचिका की प्रस्तुति के दिन रह रही है।